एफ.सं.ए-12018/04/2018-ईपीआई

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक:

बीसीजीवीएल, चेन्नई में लेवल-1 में कारपेंटर के पद हेतु प्रारूप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना।

डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन सं. AB-14017/61/2008-Estt.(RR) दिनांक 13.10.2015 की अनुपालना में हितधारकों की टिप्पणी आमंत्रित करने हेतु कारपेंटर के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर संशोधन संलग्न है । उक्त प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/सुझाव इनके प्रकाशन की तारीख़ से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित में उप -निदेशक प्रशासन (ईपीआई), कमरा सं. 647-ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110018 को किया जा सकता है तथा सॉफ्ट कॉपी epidghs@gmail.com पर भेजी जाए ।

(स्वरूपा सरन)

उप-निदेशक

[भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, तारीख : 2018

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1976 को, जहां तक उसका संबंध कारपेंटर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी में कारपेंटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन, प्रयोगशाला, गिंडी, कारपेंटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्समें लेवल – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि. – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. – वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति. – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कारपेंटर	01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल (रूपय 18000-56900/-)	चयन	18 – 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनु लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु 5 वर्ष की छुट टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक करने के लिए नियत की गई अंतिम तारिख होगी (न कि व प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, ज के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उ संघराज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्ष
(7)	(8)	
(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वी कक्षा या समतुल्य तथा ; (ii) कारपेंटर ट्रेड में अद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी: ''पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो- (क) (i) लेवल 1 (18000-56900) में सदृश पद धारक हो तथा (ख) कॉलम (7) में सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।''	लागू नहीं

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे : - (i) निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला - अध्यक्ष (ii) उप सहायक निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला – सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला - सदस्य (iv) केंद्र/ राज्य से राजपत्रित अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं

(ए-12018/04/2018-ईपीआई)

(बीएल मीना)
अवर सचिव,
भारत सरकार